125

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक प. 13(22)राज.–1/2002

जयपुर, दिनांक 24 JAN 2017

-: अधिसूचना :-

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या–15) की धारा, 106 107 व 108 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार एतदद्वारा निर्देश देती है कि तहसील कोटडी, जिला भीलवाड़ा के समस्त ग्रामों के पुनः सर्वेक्षण/तरमीम कार्य एवं अभिलेखों का आंशिक पुनः निरीक्षण कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु इस विभाग की अधिसूचना संख्या प.13(2)राज./ग्रुप–1/2004 दिनांक 03.02.2005 एवं 26.05.2008 प्रसारित की गई थी। भारत सरकार की डीआईएलआरएमपी योजना के अन्तर्गत आधुनिक सर्वे यंत्रों से उक्त तहसील में सर्वे–अभिलेखन कार्य करवाने के दृष्टिगत इस तहसील के वर्तमान में संक्रियाधीन समस्त ग्रामों का कार्य इस अधिसूचना के प्रसारित होने की दिनांक से जिस स्थिति में है, बन्द घोषित किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से

(दुर्गा जोशी)
संयुक्त शासन सचिव

संयुक्त शासन सचिव
राजस्व (ग्रुप–1) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निबधक, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
2. जिला कलक्टर, भीलवाड़ा।
3. भू–प्रबन्ध आयुक्त राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक फा/भूप्रआ/समु./भूकर/11/2/10/13/पार्ट–II/180 दिनांक 13.01.2017 के क्रम में।
4. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि राजस्थान राजपत्र के आगामी अंक में उक्त अधिसूचना को शीघ्र प्रकाशन कर प्रकाशित विज्ञप्ति की प्रति इस विभाग को एवं भू–प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को भिजवाने का श्रम करावें।
5. भू–प्रबन्ध अधिकारी, भीलवाड़ा।
6. रक्षित पत्रावली।

राज.,
पत्र–प्राप्ति
27 JAN 2017
क्रमांक ....

संयुक्त शासन सचिव

S.O.
25/1/17

RR/17
27/1/17